



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 10-2026] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 5, 2026 (PHALGUNA 14, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2026

संख्या 16/5/2024-3H(C) .— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (ii) की मद (I) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 16/5/2024-3H(C), दिनांक 14 अगस्त, 2024 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुलिस को उक्त अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए हरियाणा राज्य के अभिकरण के रूप में प्राधिकृत करते हैं और आगे, मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित कम्प्यूटर संसाधन में विद्यमान या उससे संबद्ध ऐसी सूचना, डाटा या संसूचना, संपर्क के दृष्टांतों, जिनका उपयोग विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए किया जा रहा है, को सूचित करने के लिए हरियाणा के पुलिस उप महानिरीक्षक और उससे ऊपर की पदवी के अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 26th February, 2026

No. 16/5/2014-3H(C).— In exercise of the powers conferred under the first proviso to item (I) of sub-clause (ii) of clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 read with clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology, Act, 2000 (Central Act 21 of 2000) and in supersession of the Haryana Government, Home Department, notification No. 16/5/20014-3H(C), dated the 14th August, 2024, the Governor of Haryana hereby authorises the Haryana Police to be agency of State of Haryana to perform the functions under the said Act and further authorise the officers of the Haryana Police in the rank of Deputy Inspector General of Police and above to notify the instances of information, data or communication link residing in or connected to a computer resource controlled by the intermediary being used to commit the unlawful act.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.